शहेरी विकास मंत्रालय

राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

NATIONAL BUILDING ORGANISATION

अनुसूची - II को भरने के अनुदेश

INSTRUCTION FOR FILLING SCHEDULE -II

१. आवेदनकर्ता (प्रस्थावित निर्मित के मालिक / मालिको अथवा अधिकृत एजेटो / एजेटो) को प्राधिकारण प्रमाणपत्र जारी करने के लिये तथा रिहायश के लिए दखल प्रमाणपत्र करने के लिये पुर्ति सूचना सहित ईस अनुसूचि की दो प्रतिया भर कर प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत करनी चाहिए ।

1. This schedule duly filled in duplicate by the applicant { owner / owners of the proposed construction or authorised agnet / agents} should accompany the application for issue of authorisation certificate as well as along with completion notice for issue of accupancy certificate (also called fitness certificate).

२. नया निर्माण का अभिप्राय बिलकुल नया ढांचा खडा करने से है चाहे वह ख्वाब जिस पर वह ढांचा खडा किया है पहले है दखल में हो या न हो । मै जुदा ईमारत के भीतर कीए संरचनात्मक परिवर्तन को फेर बदल कहते है जबकी ईमारतमें वृध्धी करने का अभिप्राय ईमारत को खडा करने से है जिससे फर्शी क्षेत्रफल में वृध्धि होती है ।

2. New construction means creation of an any entirely new structure whether the site on which it is built has before been occupied or not. alteration to existing building relate to structural chanage carried out within a building whereas will mean enlargement of building by

३. निर्माण का प्रकार : प्रत्येक प्रकारकी निर्मित के लिए अलग अलग फार्म का इस्तिमाल करना चाहिए । यहा निर्मित एक से अधिक प्रकारो की हो जैसे की रिहायसी सह व्यापारीक, वहां निर्मित का फशी क्षेत्रफल जिस प्रकार से अधिक हो उसी प्रकारमें उस निर्मित की गणना करनी चाहिए ।

3. Type of Construction : Seperate from should be used for each type of construction. wherever a construction involves more then one types e.g. residential - cum commercial building } the bulding should be classifild to that type of construction which accounts for the largest floor are :

४. फूर्शी क्षेत्रफल : फुर्शी की शतह के उपर ईमारत द्वारा आच्छादित भुमिके क्षेत्रफल को फुर्शी क्षेत्रफल कहते है ।

4. Plinth area : It means ground covered by the building immediately above the plinth level.

५. फूर्शी क्षेत्रफल : (अथवा कार्पेट एरिया) छतां द्वारा आच्छादित तथा इस्तेमाल मे आने वाले स्थान को कहते है ।

5. Floor area { or carpet area} : it means inside usable footed area.

६. मौजुदा ईमारत में फेरबदल तथा वृध्धि करने की स्थितीमें कृपाया मद ३ वे ४ में दिए गये फर्शी क्षेत्रफल का फुर्शी क्षेत्रफल का सम्बन्द निर्माण द्वारा के बदाये जानेकी स्थिती के उससे होना चाहिये ।

6. In case of alteration and / or additions to existing building the plinth area and floor area shown against items 3 and 4 respectively should relate to the area, if any added by construction.

७. रीहावशी अकक : इसका अर्थ जो एक कमरा अथवा कमरोका का एक सुईट तथा उसके साथ की उपनिर्मीतीया यदी कोई का जैसे रसोई भंडार, स्नानगर, शौचालय, आदि) जा एक स्थाई ईमारत अथवा संरचनात्मक रुप से पृथकभाग में बनाए गए , दोबारी बनाई गई अथवा परिवर्तित किए गये हो तथा जिसे एक परिवार के निवास के लिए इस्तेमाल किसे का विचार हो । इसमे गली तक अथवा बाहर आने जाने का रास्ता है । रिहायशी अकक के कमरे गिनते समय यह ध्यान रखना चाहिए की केवल सोने के कमरो, खाना खाने कमरो तथा आम तौर से रहने में आने वाले कमरो की ही गिना जाय (कांचीन बरामदे रसोई, स्नानपर तथा भंडार पर इत्यादि को नही गिनना चाहिये)

7. Dwelling : It is a room or suite of rooms and its accessories viz. {kitchen, store, bath, latrine etc.} If any in a permanent building or structurally seperated part there of which by the has been built, rebuilt or converted is intended for habitation by one household. it should have a seperate access to the streat or to a common passage or striways, while counting rooms and normal living rooms { glazed verandoh, kitchen, bathroom and store etc. should be excluded}